[2021] 1 एस सी आर 460

राजेन्द्र खरे

वी.

स्वाति निरखी और ओआरएस।

(समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) 2018 का सं. 671)

में।

(2018 की स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 262)

28 जनवरी, 2021

[अशोक भूषण और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कलाएँ। 137 और 145 आर/डब्ल्यू आदेश XLVII नियम 1 और सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 का आदेश XXXIX नियम 2-अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करें और इसके दायरे में-दिनांक 1 के आदेश द्वारा, एक आपराधिक मामले को दिल्ली की अदालत से इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था-आपराधिक मामले के मुखबिर, जिसे स्थानांतरण याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था, ने विविध आवेदन दायर किया

दिनांकित 18.05.2018 आदेश को याद करने के लिए-आवेदन खारिज कर दिया गया था-सूचना देने वाले द्वारा समीक्षा याचिका-आयोजितः समीक्षा याचिकाकर्ता को समीक्षा के लिए आवेदन दायर करने के वैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार है-केवल दिनांकित 18.05.2018 के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन की अस्वीकृति, याचिकाकर्ता को समीक्षा याचिका दायर करने से नहीं रोकेगी।

यू/ऑर्डर XXXIX, नियम 2 के तहत नोटिस जारी करना, रिकॉर्ड के चेहरे पर एक त्रुटि स्पष्ट है और उसे ठीक करने की आवश्यकता है-दिनांकित 18.05.2018 आदेश को वापस ले लिया जाता है और स्थानांतरण याचिका को पुनर्जीवित किया जाता है, जिसमें समीक्षा याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाता है।

पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 किसी आदेश का सुधार इन मौलिक सिद्धांतों से उत्पन्न होता है कि न्याय सबसे ऊपर है। में

संविधान, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश को सुधारने या समीक्षा करने की मूल शक्ति विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करने में अंतर्निहित मूल दर्शन

460 राजेन्द्र खरे बनाम। स्वाति निरखी और ओआरएस।

अनुच्छेद 137 मानव दोषपूर्णता की सार्वभौमिक स्वीकृति है। [पैरा

16] [471 - जी-एच]

1.2 पुनरीक्षण याचिका, जो पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा निर्णय की पुनरीक्षण के लिए दायर की गई है, संविधान के अनुच्छेद 137 के लिए संदर्भित है।

संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII के साथ पढ़ा गया संविधान। द. इस प्रकार, समीक्षा करने के लिए इस न्यायालय की अधिकारिता संविधान के साथ-साथ अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों में विशेष रूप से प्रदान की गई है। [पैरा 9,10 और 11] [467-ई, जी; 468-बी-सी]

विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया और अन्र। बनाम राज्य पंजाब और अन्र। , (2017) 8 एससीसी 518: [2017] 8 एससीआर 177

पर भरोसा किया।

मुकेश बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2018) 8 एस. सी. सी. 149:

[2018] 7 एस. सी. आर. 898-संदर्भित।

1.3 समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा दायर विविध आवेदन (एमए) की केवल अस्वीकृति से, समीक्षा याचिकाकर्ता नहीं हो सकता है

अनुच्छेद 137 के साथ-साथ आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय के नियम। [पैरा 13 और 15] [471-डी-ई; 470-जी-एच]

1.4 यह न्यायालय आवेदनों को दाखिल करने के संबंध में इस रूप में शैलीबद्ध

निर्णय के स्पष्टीकरण, संशोधन या वापस बुलाने के लिए आवेदन में कहा गया है कि वास्तव में वे आवेदन समीक्षा के लिए हैं और उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और आवेदकों को समीक्षा आवेदन दायर करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन पर न्यायालय के नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है। [पैरा 14] [471-ए-बी]

1.5 याचिका कि समीक्षा याचिका में लिए गए सभी आधार पहले एम. ए. में लिए गए थे, और अस्वीकृति के कारण

एम. ए. के लिए उन्हें फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एम. ए. में पारित आदेश से यह संकेत नहीं मिलता है कि उठाए गए किसी भी मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा विचार और निर्णय लिया गया था, और आगे समीक्षा वैधानिक कार्यवाही होने के कारण, [2021] 1 एस. सी. आर. नहीं हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई विशिष्ट याचिका पर विचार किया गया। [पैरा

15] [471 - ई-एफ]

दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन और अन्य। (2000) 7 एससीसी 296: [2000] 2 पूरक। एससीआर 496-निर्भर

पर।

2.1 स्थानांतरण याचिका में दिनांकित 18.05.2018 आदेश का अवलोकन इंगित करता है कि आदेश प्रारंभिक आदेश पर पारित किया गया था।

स्थानांतरण याचिका की सुनवाई और आदेश पारित करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश XXXIX नियम 2 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

न्यायालय नियम, 2013। आदेश XXXIX नियम 2 के तहत नोटिस जारी किए बिना सुनवाई के पहले दिन आदेश पारित किए जाने के बाद, समीक्षा याचिकाकर्ता अपने निवेदन में सही है कि रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि है। इस न्यायालय द्वारा 18.05.2018 पर स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि एकतरफा आदेश होने के कारण, यह उत्तरदाताओं के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए खुला होगा, यदि वे व्यथित हैं। में

स्थानांतरण याचिका, समीक्षा याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं में से एक नहीं था, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा एम. ए. दाखिल करने से स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर करने के वैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार है

निर्णय। [पैरा 17 और 18] [472-ए-बी, एफ-एच]

एम एस अहलावत बनाम। हरियाणा और अन्र राज्य। , (2000) 1 एस. सी. सी. 278 [1999] 4 पूरक। एस. सी. आर. 160-- पर निर्भर था।

2.2 यह पता चलने पर कि दिनांकित 18.05.2018 आदेश में स्पष्ट त्रुटि थी, उक्त आदेश को ठीक किया जाना चाहिए। इस प्रकार,

समीक्षा याचिका की अनुमति दी जाती है और 18.05.2018 दिनांकित आदेश को वापस ले लिया जाता है। नतीजतन स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) 2018 का No.262 पुनर्जीवित किया गया है। समीक्षा याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है

सं. 4 स्थानांतरण याचिका में। [पैरा 20] [473-ई-एफ]

मामला कानून संदर्भ

[2017] 8 एससीआर 177

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2018] 7 एससीआर 898

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

[2000] 2 पूरक। एससीआर 496

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[1999] 4 पूरक। एससीआर 160

उस पर भरोसा करें

पैरा 19 राजेन्द्र खरे बनाम। स्वाति निरखी और ओआरएस।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः याचिका की समीक्षा करें

स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) में 2018 की संख्या 671 2018 का No.262।

इस माननीय के 18.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

टी. पी. में (सीआरएल।) No.262/2018।

के साथ

टी. पी. में अवमानना याचिका (सी) No.1233/2019 (सीआरएल।) No.262/2018।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., बी. वी. बलराम दास, आयुष पुरी, प्रणय एन, राहुल श्याम भंडारी, कोणार्क त्यागी, कौस्तुभ शुक्ला, अधिवक्ता।

ई उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अशोक भूषण, जे।

1. यह समीक्षा याचिका यह प्रार्थना करते हुए दायर की गई है कि 5.2018 दिनांकित आदेश स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) में पारित किया जाए। 2018 की सं. 262 और एम. ए. को खारिज करने वाले दिनांकित आर. आई. डी. 1 की समीक्षा की जाए।2. इस समीक्षा याचिका को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्यों पर अब ध्यान दिया जाना चाहिएः

2.1 समीक्षा याचिकाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की

No.39/2016 पुलिस स्टेशन, मंगोल पुरी, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 389/34 के तहत, जिसमें प्रतिवादी संख्या। 1 इस पुनरीक्षण याचिका पर 5 को अभियुक्त बनाया गया। जाँच अधिकारी ने जाँच पूरी करने के बाद सभी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया

अभियुक्त।

2.2 विद्वान महानगर दंडाधिकारी, उत्तर-पश्चिम दिल्ली ने अपराध का संज्ञान लिया और सभी अभियुक्तों को 02.03.2018 पर उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। 05.03.2018 पर, अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ, अदालत ने कहा कि समन की सेवा के बावजूद सभी अभियुक्त अनुपस्थित हैं, इसलिए सभी अभियुक्तों को 02.05.2018 के लिए नए सिरे से समन जारी करें। 02.05.2018 पर, इसके लिए आवेदन दायर किए गए थे

अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट। द.

विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदन को दाखिल करने के अधीन अनुमति दी

मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र।

2.3 प्रत्यर्थी Nos.1 से 3 और 5 ने 08.05.2018 पर स्थानांतरण याचिका दायर की जो स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) है। No.262/2018 के तहत [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2017 के आपराधिक मामले के मुकदमे के हस्तांतरण की मांग करने वाली Cr.P.C की धारा 406। स्थानांतरण याचिका में, निम्नलिखित तीन प्रतिवादी थे, जिन्हें शामिल किया गया थाः

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

1 .

पुलिस आयुक्त के माध्यम से, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110012

2 .

मोहन श्रीवास्तव उर्फ

अखाउड़ी ओंकार नाथ,

एस/ओ स्वर्गीय श्री अखौरी भोलानाथ, बैरागी हरिजन मंदिर के पास के निवासी, पी. एस. दिल्ली,

जिला गया (बिहार) 823001।

जुगल किशोर यादव,

3 .

आर/ओ 13/137, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110 089।

2.4 इस न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिका ली गई थी और 18.05.2018 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना।

गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम उस कार्यवाही को सी. आर. एल. में निर्देशित करते हैं। 2017 का मामला No.0003483 जिसका शीर्षक था "राज्य बनाम स्वाति निर्खी और अन्य"। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 461 उत्तर पश्चिम की फाइल पर, रोहिणी न्यायालय, नई दिल्ली को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, सुनवाई और निपटान के लिए कानून के अनुसार। अभिलेखों को तुरंत अंतरिती न्यायालय में भेजा जाएगा। पक्षकारों के लिए यह खुला रहेगा कि वे अपने बीच लंबित सभी मामलों, यदि कोई हो, को एक साथ लाने की मांग करें।

कानून के साथ। रजिस्ट्री इस आदेश की एक प्रति संबंधित अदालतों को प्रेषित करेगी। अंतरिती अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए पक्षकार

सोमवार, 9 जुलाई, 2018।

राजेन्द्र खरे बनाम। स्वाति निरखी और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

तदनुसार, स्थानांतरण याचिका की अनुमति उपरोक्त के साथ दी गई है।

दिशा।

चूंकि यह आदेश एकतरफा पारित किया जा रहा है, इसलिए यह प्रतिवादियों के लिए खुला रहेगा कि यदि वे व्यथित हैं तो इस न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।

2.5 समीक्षा याचिकाकर्ता, जिसने एफ. आई. आर. No.39/2016 दायर किया था, उसे स्थानांतरण याचिका में उत्तरदाताओं में से एक नहीं बनाया गया था। दिनांक 18.05.2018 के आदेश के बाद समीक्षा याचिकाकर्ता ने M.A.No दायर किया। 2018 का 1589 इस न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) में पारित दिनांक 18.05.2018 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध करता है। 2018 का No.262। इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करके एम. ए. को खारिज कर दियाः

" आगे कोई आदेश नहीं मांगा जाता है। एम. ए., तदनुसार है, खारिज कर दिया गया "।

2.6 2018 के एम. ए. No.1589 की अस्वीकृति के बाद, समीक्षा याचिकाकर्ता ने यह समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) दायर की है। 2018 का सं. 671 दिनांकित 18.05.2018 और 05.06.2018 आदेशों की समीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। इस समीक्षा याचिका में, 24.10.2018 पर आदेश पारित किया गया था जिसमें खुली अदालत की सुनवाई के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी और इसके द्वारा नोटिस जारी किया गया था

अदालत। इस न्यायालय ने 24.10.2018 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" ओपन कोर्ट सुनवाई के लिए आवेदन की अनुमति है। देरी माफ कर दिया। नोटिस जारी करें "।

2.7 नोटिस जारी होने के बाद, प्रतिवादी संख्या द्वारा समीक्षा याचिका पर जवाब दाखिल किया गया है। 1 3 के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 5-जुगल किशोर यादव द्वारा। प्रतिवादी संख्या 3 दिनांकित 11.01.2021 की ओर से एक संक्षिप्त हलफनामा और साथ ही समीक्षा की ओर से एक हलफनामा याचिकाकर्ता दिनांक 19.01.2021 भी दायर किया गया है।

3. हमने समीक्षा याचिकाकर्ता श्री राजेंद्र खरे को व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए सुना है। श्री राहुल श्याम भंडारी, विद्वान वकील, प्रतिवादी Nos.1,2 और 3 और श्री कौस्तुभ शुक्ला की ओर से पेश हुए हैं।

विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या 5 के लिए उपस्थित हुए हैं।

4. याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस समीक्षा को प्रस्तुत करता है

याचिकाकर्ता, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट का मुखबिर था, उसे धारा 406 Cr.P.C के तहत दायर स्थानांतरण याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि पुनर्विचार याचिकाकर्ता को स्थानांतरण याचिका में शामिल नहीं किया गया था ताकि उसे स्थानांतरण याचिका का विरोध करने के अधिकार से वंचित

किया जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समीक्षा याचिका इस न्यायालय द्वारा 18.05.2018 [2021] 1 एस. सी. आर. पर ली गई थी।

प्रारंभिक सुनवाई के लिए और कोई नोटिस जारी किए बिना समीक्षा याचिका की अनुमति दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XXXIX के अनुसार, स्थानांतरण याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद, नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है, जो वर्तमान स्थानांतरण याचिका में नोटिस जारी नहीं किया गया है और सुनवाई के पहले दिन स्थानांतरण याचिका की अनुमति दी गई थी। विविध आवेदन को भी समीक्षा याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए सुनवाई का अवसर दिए बिना संक्षेप में खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 18.05.2018 के साथ-साथ 05.06.2018 द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि रोहिणी अदालत में लंबित आपराधिक मामले को स्थानांतरित करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 24 गवाहों में से 21 गवाह दिल्ली के हैं और आपराधिक मुकदमे के हस्तांतरण से भारी पूर्वाग्रह पैदा होगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के दिनांक 18.05.2018 के आदेश के बाद भी जिसमें यह न्यायालय पक्षकारों को 09.07.2018 पर अंतरिती अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, उत्तरदाता अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियों की समीक्षा करें

कि दिनांकित 18.05.2018 के निर्णय में अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि है, जिसकी इस न्यायालय द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और याचिकाकर्ता को भी समीक्षा करने का अवसर देने के बाद स्थानांतरण याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए।

5. श्री राहुल श्याम भंडारी, प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। 1 3 का तर्क है कि दिनांकित 18.05.2018 निर्णय की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। प्रत्यर्थी Nos.1 की ओर से 3 को दायर किए गए उत्तर का उल्लेख करते हुए, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में

जब स्थानांतरण याचिका प्रस्तुत की गई थी, तो पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्ति पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम स्थानांतरण याचिका से हटा दिया गया था और स्थानांतरण याचिकाकर्ताओं की ओर से पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थियों में से एक के रूप में शामिल नहीं करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। रजिस्ट्री द्वारा आपत्ति के कारण ही प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम हटा दिया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने अपने दिनांक 18.05.2018 के आदेश में स्वतंत्रता प्रदान की थी

एक आवेदन दायर करने के लिए क्योंकि आदेश एकतरफा पारित किया जा रहा था और समीक्षा याचिकाकर्ता ने एम. ए. No.1589 दाखिल करके अपनी स्वतंत्रता समाप्त कर दी है

2018 , जिसे 05.06.2018 पर अस्वीकार कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी आधार, जो अब समीक्षा याचिका में उठाए जाने की मांग की गई है, पहले से ही 2018 के एम. ए. No.1589 में लिए गए थे। इस अदालत ने खारिज कर दिया है कि एम. ए., पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने का कोई अवसर नहीं है और पुनरीक्षण याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किए जाने के योग्य है।

राजेन्द्र खरे बनाम। स्वाति निरखी और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

6. पुनर्विलोकन याचिका का विरोध करने वाले प्रत्यर्थी सं. 5 के विद्वान वकील ने भी प्रत्यर्थी सं. 5 के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए समान प्रस्तुतियाँ की हैं। 1 3 तक।

7. हमने पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जिस आपराधिक मामले को टी. पी. में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। (सीआरएल।) 2018 का No.262 आपराधिक मामला था, जो

समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था जिसमें जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया है और अभियुक्तों को तलब किया गया है। यह भी एक तथ्य है कि स्थानांतरण याचिका (सी. आर. एल.) में 2018 का No.262, समीक्षा याचिकाकर्ता एक पक्ष नहीं था। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील संख्या। 1 3 ने अपने उत्तर शपथ पत्र में कहा है कि शुरू में जब रजिस्ट्री में याचिका दायर की गई थी, तो समीक्षा याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 था, लेकिन रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्ति पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम स्थानांतरण याचिका से हटा दिया गया था। हमारे पास प्रतिवादी संख्या के वकील की ओर से उपरोक्त कथन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। 1 3 तक, लेकिन तथ्य यह है कि 18.05.2018 दिनांकित आदेश स्थानांतरण याचिका में पारित किया गया था जहां समीक्षा याचिकाकर्ता पक्षकार नहीं था। यह भी विवादित नहीं है कि समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2018 के एम. ए. No.1589 को आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

9. समीक्षा याचिका, जो समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है

निर्णय की समीक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 137 के लिए संदर्भित है। संविधान के अनुच्छेद 137 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" 137. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा

अदालत। - संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा घोषित किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी।

10. नियम संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए हैं, जिसका नाम है "सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013" जिसमें आदेश XLVII समीक्षा से संबंधित है। आदेश XLVII नियम 1 प्रदान करता है:

" ऑर्डर XLVII समीक्षा

1. न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन सिविल कार्यवाही में समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि

कोड के आदेश XLVII, नियम 1 और [2021] 1 एस. सी. आर. में उल्लिखित आधार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्ट त्रुटि के आधार को छोड़कर आपराधिक कार्यवाही

रिकॉर्ड का चेहरा। समीक्षा के लिए आवेदन के साथ रिकॉर्ड पर अधिवक्ता का एक प्रमाण पत्र होगा जो यह प्रमाणित करता है कि यह समीक्षा के लिए पहला आवेदन है और नियमों के तहत स्वीकार्य आधारों पर आधारित है।

XXXXXXXXXXXXX "

11. इस प्रकार, समीक्षा करने के लिए इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संविधान के साथ-साथ अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों में विशेष रूप से प्रदान किया गया है।

इस न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के समीक्षा अधिकार क्षेत्र पर विचार करते हुए विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया और ए. एन. आर. में समीक्षा अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे पर विचार किया है। बनाम पंजाब राज्य और एन. आर. , (2017) 8 पैराग्राफ 23 में एस. सी. सी. 518 जिसमें से निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः

" 23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि दायरा, परिधि और

समीक्षा क्षेत्राधिकार के मापदंड अच्छी तरह से परिभाषित हैं। आम तौर पर ए

आपराधिक कार्यवाही, समीक्षा आवेदनों पर रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार के अलावा विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय को दी गई शक्ति व्यापक है और एक उचित मामले में एक प्रकट अन्याय को कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। समीक्षा आवेदन द्वारा एक आवेदक को उन आधारों पर अपील पर फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर उस समय आग्रह किया गया था।

आपराधिक अपील की सुनवाई। भले ही आवेदक यह स्थापित करने में सफल हो कि इस पर एक और दृष्टिकोण संभव हो सकता है

अभियुक्त की दोषसिद्धि या सजा जो समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह न्यायालय समीक्षा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल तभी करेगा जब न्यायिक त्रुटि के कारण पहले के निर्णय में कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती हो गई हो। रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए जिससे न्याय की विफलता हो आदेश 40 नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें। इसके चेहरे पर भौतिक त्रुटि प्रकट होनी चाहिए

रिकॉर्ड के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है "।

12. प्रतिवादी सं. के लिए सीखा हुआ परामर्श। 1 3 ने मुकेश बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है। (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2018) 8 एस. सी. सी. 149 जहाँ इस न्यायालय ने भी

इस न्यायालय की समीक्षा अधिकारिता के दायरे और दायरे पर विस्तार से विचार किया गया। पैराग्राफ 5,6 और 7 में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

राजेन्द्र खरे बनाम। स्वाति निरखी और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

" 5. संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत परिकल्पित सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा की शक्ति निस्संदेह न्यायालय को अन्य कानूनों द्वारा प्रदत्त समीक्षा अधिकार क्षेत्र से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, निश्चित रूप से, घोषित या किए गए किसी भी फैसले की समीक्षा करने का अधिकार देता है।

6. किसी निर्णय की समीक्षा करने के लिए एक आवेदन पर हल्के में विचार नहीं किया जाना चाहिए और यह न्यायालय अपने समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

केवल तभी जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII नियम 1 में प्रदान किए गए आधार बनाए जाते हैं। सो चंद्र कांटे बनाम में यह न्यायालय। एस. के. हबीब [(1975) 1 एस. सी. सी. 674] ने वी. आर. कृष्ण अय्यर के माध्यम से बोलते हुए, समीक्षा पर जे. ने पैरा 1 में निम्नलिखित कहा हैः (एस. सी. सी पी. 675)

" 1. ..... किसी निर्णय की समीक्षा एक गंभीर कदम है और इसके लिए अनिच्छुक सहारा केवल तभी उचित है जब एक स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि पहले न्यायिक विफलता के कारण हुई हो। अलग-अलग सलाह के माध्यम से, पुराने और खारिज किए गए तर्कों की केवल पुनरावृत्ति, अप्रभावी रूप से ढके हुए आधार या असंगत महत्व की छोटी गलतियों पर दूसरी यात्रा। स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हैं। "

7. नियम के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा की अनुमति केवल रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार पर दी जाती है। पी. एन. ईश्वर अय्यर बनाम में यह न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय [(1980) 4 एस. सी. सी. 680] ने आपराधिक और दीवानी कार्यवाही के संबंध में इस न्यायालय की समीक्षा अधिकारिता की जांच करते हुए पैरा 34 और 35 में निम्नलिखित टिप्पणियां की थींः (एस. सी. सी पी. 695)

" 34. नियम [आदेश एक्सएल नियम 1], अपने चेहरे पर, दीवानी कार्यवाही में आदेशों की समीक्षा के लिए आधारों का एक व्यापक सेट प्रदान करता है, लेकिन आपराधिक कार्यवाही के आधार को "रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटियों" तक सीमित करता है। अगर चिंता की बात है

न्यायिक त्रुटि से बचने के लिए कानून को तब बढ़ाया जाना चाहिए जब जीवन या स्वतंत्रता खतरे में हो क्योंकि नागरिक दंड अक्सर कम दर्दनाक होते हैं। इसलिए, यह मान लेना उचित है कि नियमों के निर्माता आपराधिक आदेशों या निर्णयों पर प्रतिबंधात्मक समीक्षा का इरादा नहीं रख सकते थे। इसके विपरीत होने की संभावना है। मान लीजिए कि किसी अभियुक्त को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है और "मृतक" अदालत में दिखाई देता है और अदालत को दर्ज की गई गवाही के दुखद विश्वासघात का पता चलता है। क्या अदालत असहाय है [2021] 1 एस. सी. आर.

पुनरीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 137 में है और यह समान रूप से व्यापक है। सभी कार्यवाही। नियम केवल प्रवाह को प्रवाहित करता है

शक्ति का भंडार। धारा स्रोत को दबा नहीं सकती है।

इसका अर्थ है कोई ऐसी सामग्री जो पहले से ही अभिलेख में है या जिसके साथ न्यायालय की अनुमति को अभिलेख पर लाया जाए। अगर न्याय मिलता है।

न्यायाधीशों को एक महत्वपूर्ण सामग्री की अनुमति देने के लिए बुलाता है, यह बन जाता है

अभिलेख का हिस्सा; और यदि स्पष्ट त्रुटि है, तो सुधार करें।

आवश्यक हो जाता है।

35. उद्देश्य सादा है, भाषा लोचदार है और

एक आवश्यक शक्ति की व्याख्या स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए विस्तृत। मूल शक्ति अनुच्छेद 137 से प्राप्त होती है।

और आपराधिक के लिए उतना ही व्यापक है जितना कि दीवानी कार्यवाही के लिए। यहां तक कि
नियम (आदेश एक्सएल नियम 2) में वाक्यांश विज्ञान में अंतर होना चाहिए,

विसंगति के उत्पादक एक कृत्रिम विचलन को संलग्न करें। अगर अभिव्यक्ति "रिकॉर्ड" का अर्थ पढ़ा जाता है, इसके शब्दार्थ में,

अनुमति के साथ, बाद में भी अभिलेख पर लाई गई कोई भी सामग्री

अदालत, यह बाद की घटनाओं, नई रोशनी और शामिल होगा

अन्य आधार जो हम आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. में पाते हैं। हम देखते हैं। सिविल और आपराधिक में क्षेत्र की बराबरी करने में कोई अपूरणीय कठिनाई नहीं

जब उसी से समीक्षा शक्ति का उपयोग किया जाता है तो कार्यवाही

स्रोत "।

(मूल में जोर) "

13. उपरोक्त निर्णयों का अनुपात एक आपराधिक मामले में समीक्षा है।

कार्यवाही की अनुमति केवल अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के आधार पर दी जाती है। प्रस्तुतिकरण जिसे प्रत्यर्थी सं. के लिए विद्वान वकील द्वारा दबाया जाता है। 1 3 का अर्थ यह है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

2018 का एम. ए. No.1589 इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, समीक्षा याचिका विचारणीय नहीं है। एम. ए., जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, निर्णय को वापस लेने के लिए एक आवेदन था। निर्णय को वापस लेने के लिए आधार और निर्णय की समीक्षा करने के लिए आधार अलग-अलग हो सकते हैं। समीक्षा एक कार्यवाही है, जो क़ानून के आधार पर मौजूद है। एम. ए. जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, वह अनुच्छेद 137 के साथ-साथ आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के लिए एक आवेदन नहीं था, इस प्रकार, एम. ए. की अस्वीकृति से, यह नहीं कहा जा सकता है कि समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा दायर समीक्षा याचिका विचारणीय नहीं है।

राजेन्द्र खरे बनाम। स्वाति निरखी और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

14. एम. ए. जिसे समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था और जिसे इस न्यायालय द्वारा 05.06.2018 पर आदेश "आगे कोई आदेश नहीं मांगा गया है" द्वारा खारिज कर दिया गया था, किसी भी तरह से समीक्षा याचिकाकर्ता के सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. नियम 1 के तहत समीक्षा दायर करने के अधिकार को नहीं छीन सकता है। निर्णय के स्पष्टीकरण, संशोधन या वापस बुलाने के लिए आवेदन के रूप में शैलीबद्ध आवेदनों को दाखिल करने के संबंध में इस न्यायालय ने कहा है कि सारतः वे आवेदन समीक्षा के लिए हैं और उन्हें नहीं किया जाना चाहिए विचार किया जाता है और आवेदकों को समीक्षा आवेदन दायर करने की अनुमति दी जाती है जिन पर न्यायालय के नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है। दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन और अन्य में यह न्यायालय। , (2000) 7 एस. सी. सी. 296 ने पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 18. इसलिए, हम विद्वान सॉलिसिटर जनरल से सहमत हैं कि अदालत को "स्पष्टीकरण", "संशोधन" या "वापस बुलाने" के लिए इस तरह के आवेदन की सुनवाई की अनुमति नहीं देनी चाहिए यदि आवेदन में है

समीक्षा के लिए एक पदार्थ। उस स्थिति में, न्यायालय या तो आवेदन को तुरंत लागत के साथ या बिना लागत के अस्वीकार कर सकता है या शुरू में सूचीबद्ध किए जाने वाले समीक्षा आवेदन को दायर करने के लिए अनुमति के साथ वापस लेने की अनुमति दे सकता है।

कक्षों में "।

15. इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि समीक्षा याचिकाकर्ता द्वारा दायर एम. ए. की केवल अस्वीकृति से, समीक्षा याचिकाकर्ता को नहीं माना जा सकता है

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर करने से वर्जित। इस प्रकार, पुनरीक्षण याचिका पूरी तरह से विचारणीय है और प्रतिवादी के इस तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता है कि पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है। प्रत्यर्थी के वकील का आगे यह निवेदन कि समीक्षा याचिका में लिए गए सभी आधार पहले एम. ए. में लिए गए थे, और एम. ए. की अस्वीकृति के कारण उन्हें फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एम. ए. में पारित आदेश से यह संकेत नहीं मिलता है कि उठाए गए किसी भी मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और निर्णय लिया गया था, और आगे समीक्षा वैधानिक कार्यवाही होने के कारण प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई विशिष्ट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। 16. किसी आदेश का सुधार इन मौलिक सिद्धांतों से उत्पन्न होता है कि न्याय सबसे ऊपर है। संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश को सुधारने या समीक्षा करने की ठोस शक्ति विशेष रूप से अनुच्छेद 137 के तहत प्रदान की गई है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 137 के तहत अपने फैसले की समीक्षा करने की शक्ति देने में अंतर्निहित मूल दर्शन मानव दोषपूर्णता की सार्वभौमिक स्वीकृति है।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. स्थानांतरण याचिका में दिनांकित 18.05.2018 आदेश का अवलोकन इंगित करता है कि आदेश की प्रारंभिक सुनवाई पर पारित किया गया था

स्थानांतरण याचिका और आदेश पारित करने से पहले, सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XXXIX नियम 2 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" ऑर्डर XXXIX

आपराधिक कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए आवेदन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 और आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों की धारा 11 (विशेष अदालतें)

अधिनियम, 1984

XXXXXXXXXXXXXX

2. याचिका को प्रारंभिक सुनवाई और नोटिस जारी करने के आदेश के लिए न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। सुनवाई के बाद, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि स्थानांतरण के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है या याचिका अन्यथा मान्य नहीं है, तो याचिका को खारिज कर देगा; और यदि ऐसी सुनवाई पर न्यायालय का समाधान हो जाता है कि याचिका को मंजूरी देने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, तो वह निर्देश देगा कि प्रतिवादी को कारण दिखाने के लिए नोटिस जारी किया जाए कि आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए; ऐसी सूचना आरोपी व्यक्ति को दी जाएगी जहां वह आवेदक नहीं है, प्रतिवादी राज्य को और ऐसे अन्य इच्छुक पक्षों को दी जाएगी जिन्हें न्यायालय निर्देश देना उचित समझे।

XXXXXXXXXXXX "

18. आदेश XXXIX नियम 2 के तहत नोटिस जारी किए बिना सुनवाई के पहले दिन आदेश पारित किए जाने के बाद, समीक्षा याचिकाकर्ता अपने निवेदन में सही है कि रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि आदेश की अंतिम पंक्ति द्वारा प्रत्यर्थी को न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी, और एम. ए. को तदनुसार 05.06.2018 पर खारिज कर दिया गया था; पुनरीक्षण याचिका का भी वही हाल होना है। इस न्यायालय द्वारा 18.05.2018 पर स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि एकतरफा आदेश होने के कारण, यह उत्तरदाताओं के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए खुला होगा, यदि वे व्यथित हैं। स्थानांतरण याचिका में, पुनरीक्षण याचिकाकर्ता प्रत्यर्थियों में से एक नहीं था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा एम. ए. दाखिल करने से स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को अधिकार है -

समीक्षा के लिए आवेदन दाखिल करने के वैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें

निर्णय।

राजेन्द्र खरे बनाम। स्वाति निरखी और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

19. हम इस संदर्भ में एम. एस. अहलावत बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। हरियाणा और अन्र राज्य। , (2000) 1 एससीसी 278। में।

उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दोषी ठहराया। इस न्यायालय ने यह ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश को वापस ले लिया और रद्द कर दिया कि जिस प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता थी दोषसिद्धि का पालन नहीं किया गया। निर्णय के पैराग्राफ 3 और 4 में, प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया गया था, और इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि प्रक्रिया का पालन नहीं करने से त्रुटि हुई थी, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने वाले आदेश को रद्द कर दिया। पैराग्राफ 12 और 15 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 12. इस न्यायालय ने हमेशा इस प्रक्रिया को अपनाया है जब भी यह देखा जाता है कि उसके समक्ष की कार्यवाही में जाली या झूठे दस्तावेजों को पेश करके छेड़छाड़ की गई है या कोई भी बयान गलत पाया गया है। हम यह समझने में सक्षम नहीं हैं कि वर्तमान मामले में इस प्रक्रिया को क्यों मंजूरी दी गई। हो सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और 340 के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया हो। विद्वत खण्डपीठ की सूचना।

15. किसी त्रुटि को कायम रखना कोई पुण्य नहीं है, बल्कि उसे सुधारना न्यायिक विवेक की मजबूरी है। इसलिए, हम आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि को बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज कर देते हैं।

99

20. हमने पाया कि दिनांकित 18.05.2018 आदेश में स्पष्ट त्रुटि थी, उक्त आदेश को ठीक किया जाना चाहिए। हम, इस प्रकार, समीक्षा याचिका की अनुमति देते हैं, और दिनांकित 18.05.2018 आदेश को याद करते हैं; परिणामस्वरूप स्थानांतरण याचिका (CRl.) 2018 का No.262 पुनर्जीवित किया गया है। पुनर्विलोकन याचिकाकर्ता को स्थानांतरण याचिका में प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में शामिल किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 और अन्य प्रत्यर्थियों को स्थानांतरण याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है और यदि कोई हो तो प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

21. स्थानांतरण याचिका को सुनवाई के लिए 12.02.2021 पर सूचीबद्ध करें।

22. अवमानना याचिका बंद है।

कल्पना के. त्रिपाठी

समीक्षा

याचिका की अनुमति दी गई।